

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)



प्रार्थी / प्रार्थीगण

अप्रार्थी / अप्रार्थीगण

राजूराम पुत्र भंवरलाल जाति जाट
नेवासी-भगवानपुरा, तहसील-नावां
करण : राजस्व प्रार्थना पत्र

बनाम

भंवरलाल पुत्र कालूराम जाति जाट
निवासी-भगवानपुरा, तहसील-नावां
संख्या : 48 / 2026

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
8.03.2026	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सेवर ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एडी. सम्मन पेश करे। मिसल दिनांक 24.04.2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p>	
24/4/26	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी गैर हाजिर। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अधीन धारा 212 आरटीएक्ट 1955 के तहत दिनांक 18.03.2026 को दर्ज हुआ है। प्रकरण न्यायालय में तलबी स्तर पर विचाराधीन है। वकील प्रार्थी न तो प्रकरण में सम्मन तलबी हेतु प्रस्तुत किये हैं। ना ही स्वयं आज प्रकरण में पैरवी हेतु न्यायालय में उपस्थित आये हैं।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आरटीएक्ट 1955 अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;"> (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)</p>	